यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण
प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, ब्लाक– पी–2,सेक्टर–आमेगा–1 ग्रेटर नौएडा सिटी – 201308, गौतमबुद्धनगर (उ0प्र0)
दूरभाष न0 – 0120 – 2395151 एवं 53, फैक्स न0 – 0120 – 2395150

पत्रांक : वाई.ई.ए./वित्त/ 750 /2018
दिनांक : 15/01/2018

विशेष कार्याधिकारी (एस0बी0)
महाप्रबन्धक (परियोजना/ नियोजन/ कार्मिक)
विशेष कार्याधिकारी (एम0/ए0के0टी0)
उप महाप्रबन्धक (विधुत)
वरिष्ठ प्रबन्धक (सम्पत्ति)
समस्त सलाहकार

विषय : जी0एस0टी0 के संबंध में।

महोदय,

प्राधिकरण के पैनल पर जी0एस0टी के संबंध में सलाह हेतु नियुक्त मै0 सार्क एण्ड एसोसिएटस ने अपने पत्र दिनांक – 08.01.2018 द्वारा अवगत कराया है कि प्राधिकरण का समावित्व स्थानीय प्राधिकरण होने की दशा में प्राधिकरण को निम्न योजनाओं में जी0एस0टी की छूट अनुमन्य होगी :–

1. प्राधिकरण द्वारा व्यक्ति विशेष को (व्यापारिक इकाई को छोडकर) आवंटित आवासीय भूखण्ड एवं निर्मित फ्लैटो की कीमत को जी0एस0टी0 से अवमुक्त किया गया है।

2. गैर व्यवसायिक संस्थाओ में गैर सरकारी/गैर लाभ संगठन, जिनका पंजीकरण सोसायटी एक्ट सैक्शन – 8 के कम्पनी एक्ट 2013, ट्रस्ट एक्ट में हुआ हो जिनमे स्कूल, मेडिकल कॉलेज, धार्मिक स्थल आदि भी जी0एस0टी0 से अवमुक्त किया गया है।

3. व्यवसायिक संस्थाए (अचल सम्पत्ति पर किराये को छोडकर) जिनकी टर्नओवर रू0 20.00 लाख से कम तथा विशेष श्रेणी के अन्तर्गत रू0 10.00 लाख से कम हो को जी0एस0टी0 से अवमुक्त किया गया है।

4. औद्योगिक भूखण्डों तथा आधारभूत सुविधाओं में वित्तीय कारोबार हेतु आवंटित भूखण्डों की प्रीमियम को जी0एस0टी0 से अवमुक्त किया गया है।

5. प्राधिकरण द्वारा अनुबंध के अन्तर्गत कार्य न करने की दशा में दण्ड राशि व क्षति को जी0एस0टी0 से अवमुक्त किया गया है।

6. प्राधिकरण द्वारा किराये पर दी गयी अचल सम्पत्ति से प्राप्त किराये की आय को छोडकर अन्य होने वाली रिर्वस चार्ज तंत्र से जी0एस0टी0 (सर्विस रिसिवर) को देना होगा।

संलग्नक : मै0 सार्क एण्ड एसोसिएट द्वारा उक्त विषय में दिये गये पत्र/सलाह की छायाप्रति संलग्न है।

(विशम्भर बाबू)
महाप्रबन्धक (वित्त)

प्रतिलिपिः

निजि सचिव को मुख्य कार्यपालक अधिकारी के समक्ष सादर सूचनार्थ।
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय को सूचनार्थ।

महाप्रबन्धक (वित्त)